रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082021-229202
CG-DL-E-24082021-229202

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3171] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 24, 2021/भाद्र 2, 1943
No. 3171] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 24, 2021/BHADRA 2, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2021

का.आ. 3460(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओडिशा तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का, जो राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी तीन वर्षों की अवधि के लिए, गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

2. प्राधिकरण का मुख्यालय ओडिशा, भुवनेश्वर में होगा।

क्रम सं.	सदस्य	प्रास्थिति
(1)	(2)	(3)
1.	अपर मुख्य सचिव, वन और पर्यावरण विभाग, ओडिशा सरकार	अध्यक्ष, पदेन
2.	सचिव, आवासन और शहरी विकास विभाग, ओडिशा सरकार	सदस्य, पदेन
3.	सचिव, मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास विभाग, ओडिशा सरकार	सदस्य, पदेन
4.	सदस्य-सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ओडिशा	सदस्य, पदेन
5.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) और मुख्य वन्यजीव वार्डन, ओडिशा	सदस्य, पदेन

6.	मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
7.	प्रो. पी.के. मोहंती, विभागाध्यक्ष, समुद्री विज्ञान विभाग, बहरामपुर विश्वविद्यालय, ओडिशा	सदस्य, विशेषज्ञ
8.	डा. के. वी. थोमस, पूर्व-निदेशक, राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केन्द्र (एनसीईएसएस)	सदस्य, विशेषज्ञ
9.	डा. अजित पटनायक, आरईटीडी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, ओडिशा	सदस्य, विशेषज्ञ
10.	प्रो. डा. के. सी. राथ, प्राचार्य और प्रमुख भुगोल, पी.जी. विभाग, उत्कल विश्वविद्यालय	सदस्य, विशेषज्ञ
11.	मेमर्स एक्शन फोर प्रोटक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल (एपीओडब्ल्यूए), केन्द्रापड़ा	सदस्य, गैर-सरकारी संगठन
12.	निदेशक, पर्यावरण-सह-विशेष सचिव, वन और पर्यावरण विभाग, ओडिशा सरकार, भुवनेश्वर	सदस्य-सचिव, पदेन

3. प्राधिकरण की बैठक की गणपूर्ति, उसके कुल सदस्यों की एक तिहाई सदस्य होगी।

4. पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य को, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत मानकों के अनुसार भत्ते देय होंगे।

5. प्राधिकरण, ओडीशा राज्य में तटीय पर्यावरण की क्वालिटी को संरक्षित करने और सुधारने तथा तटीय विनिमय जोन क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवार, उपशमन और नियंत्रण के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात्:—

(i) प्राधिकरण, परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए आवेदन प्राप्ति के पश्चात्, यदि वह अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना के अनुसरण में हैं और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी की गई तटीय विनिमय जोन अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 37(अ), तारीख 18 जनवरी, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) की अपेक्षाओं के भीतर है तो उसका परीक्षण करेगा और संबद्ध प्राधिकरण ऐसी परियोजना के अनुमोदन के लिए, जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर सिफारिश करेगा;

(ii) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए के अनुसार तटीय विनिमय जोन में सभी विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करेगा;

(iii) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के उपबंधों का प्रवर्तन और मानीटरी के लिए उत्तरदायी होगा;

(iv) प्राधिकरण, तटीय विनिमय जोन क्षेत्रों और तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन या उपांतरणों के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की परीक्षा करेगा और राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को उस पर विनिर्दिष्ट सिफारिश देगा;

(v) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अभिकथित अतिक्रमण के मामलों में जांच करेगा और उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण या उल्लंघन को अंतर्वलित करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करेगा;

(vi) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण या उल्लंघन के मामलों में स्वप्रेरणा से या किसी व्यष्टि या निकाय या संगठन द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर जांच या पुनर्विलोकन करेगा;

(vii) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए प्राधिकृत है;

(viii) प्राधिकरण, उसके समक्ष तथ्यों को सत्यापित करने के लिए जैसा अपेक्षित है, उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करेगा।

IndiaCode

6. प्राधिकरण, अपने कृत्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य के लिए एक समर्पित वेबसाइट तैयार करेगा और इसके कृत्य, जिसके अंतर्गत बैठकों में कार्यसूची, बेठकों का कार्यवृत्त, प्रत्येक बैठकों में किए गए विनिश्चय, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण तथा उल्लंघन के मामलों में सिफारिशे और ऐसे अतिक्रमण तथा उल्लंघन पर की गई कार्रवाई और न्यायालय मामले जिसके अंतर्गत न्यायालयों के आदेश हैं और राज्य सरकार की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना से संबंधित सूचना डालेगा।

7. प्राधिकरण छह माह में कम से कम एक बार अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को भेजेगा।

[फा. सं. 12-2/2005-आईए-III (जिल्द-III)]

डा. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3460(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes the Odisha Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely:—

2. The Authority shall have its headquarters at Bhubaneswar, Odisha.

Sl.No.	Members	Status
(1)	(2)	(3)
1.	The Additional Chief Secretary, Forest & Environment Department, Government of Odisha	Chairperson, *exofficio;*
2.	The Secretary, Housing & Urban Development Department, Government of Odisha	Member, *exofficio;*
3.	The Secretary, Fisheries & Animal Resource Development Department, Government of Odisha	Member, *exofficio;*
4.	The Member Secretary, State Pollution Control Board, Odisha	Member, *exofficio;*
5.	The Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife) and Chief Wildlife Warden, Odisha	Member, *exofficio;*
6.	The Chief Conservator of Forest, Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change	Member, *exofficio;*
7.	Prof. P.K.Mohanty, Professor and Head, Department of Marine Sciences, Berhampur University	Member, *Expert;*
8.	Dr. K.V.Thomas, Former Director, National Centre for Earth Science Studies (NCESS)	Member, *Expert;*
9.	Dr. Ajit Patnaik, Retd, Principal Chief Conservator of Forests, Odisha	Member, *Expert;*
10.	Prof. Dr. K.C.Rath, Professor & Head, P.G. Department of Geography, Utkal University	Member, *Expert;*
11.	M/s Action for Protection of Wild Animals (APOWA), Kendrapada	Member, *Non-Governmental Organization ;*
12.	The Director, Environment-Cum-Special Secretary to Government, Department of Forest and Environment, Government of Odisha, Bhubaneswar	Member Secretary, *exofficio*.

3. The quorum for the meeting of the Authority shall be one-third of the total number of its Members.

4. A Member, other than an *exofficio* Member, shall be paid allowances as per the norms decided by the Central Government.

5. The Authority shall, for the purposes of protecting and improving the quality of the costal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal Regulation Zone areas in the State of Odisha, take the following measures, namely:—

i. the Authority shall, after receiving the application for approval of project proposal, examine the same if it is in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan and within the requirements of the Coastal Regulation Zone notification issued by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests and published *vide* number G.S.R. 37(E), dated 18th January, 2019 (hereinafter referred to as the said notification), and make recommendations for approval of such project to the concerned authority, as specified in the said notification, within a period of sixty days from the date of receipt of such application;

ii. the Authority shall regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as specified in the said notification;

iii. the Authority shall be responsible for enforcing and monitoring the provisions of the said notification;

iv. the Authority shall examine the proposals received from the State Government for changes or modifications in the classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan and make specific recommendations thereon, to the National Coastal Zone Management Authority;

v. the Authority shall inquire into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder; and review the cases involving violations or contraventions of the provisions of the said Act and the rules made thereunder;

vi. the Authority shall inquire or review cases of violations or contraventions of the said notification suo-moto, or on the basis of a complaint made by any individual or body or organisation;

vii. the Authority is authorised to file complaints under section 19 of the said Act;

viii. the Authority shall take such action as may be required under section 10 of the said Act, to verify the facts of the cases before it.

6. The Authority shall, for the purpose of maintaining transparency in its functioning, create a dedicated website and post the information relating to its functions, including the agenda in its meetings, minutes of the meetings, decisions taken in each meeting, recommendations for matters on violations and contraventions of the said notification and actions taken on such violations and contraventions, court matters including the orders of the courts and the approved Coastal Zone Management Plan of the State Government.

7. The Authority shall furnish reports of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

[F. No. 12-2/2005- IA-III (Vol.III)]

DR. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.08.24 21:49:57 +05'30'